कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 298/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना तरवा: दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2025 को वादिनी/पीड़िता थाना तरवाँ जनपद आजमगढ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 18.08.2025 को रात्रि 11.30 बजे वादिनी अपने घर में सोयी थी, कि विपक्षी अमित उर्फ सोनू कुमार पुत्र रामकृत निवासी सरायबृन्दावन थाना तरवाँ जनपद आजमगढ द्वारा घर में घुस कर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया तथा जाते समय किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/25 धारा 64/333/351(3) बीएनएस बनाम अमित उर्फ सोनू कुमार पुत्र रामकृत निवासी सरायबृन्दावन थाना तरवाँ जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री चन्द्रदीप कुमार द्वारा सम्पादित किया जा रहा है अभियुक्त अमित उर्फ सोनू कुमार उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक-20.08.2025 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमित उर्फ सोनू कुमार पुत्र रामकृत निवासी सरायबृन्दावन थाना तरवाँ जनपद आजमगढ को समय करीब -7.55 बजे सुकुलपुरा मोड़ के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 218/25 धारा 64/333/351(3) बीएनएस थाना तरवाँ जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अमित उर्फ सोनू कुमार पुत्र रामकृत निवासी सरायबृन्दावन थाना तरवाँ जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 सौरभ कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 अजय यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02. थाना तरवा: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोटरसाइकिल एमवी एक्ट के तहत सीज।

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2025 को उ0नि0 जय प्रकाश मय हमराह वाहन चेकिंग मे परमानपुर चौराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध तंमचा व कारतूस लिया है जो नवरसिया गाँव का है । मोटर साईकिल से दशवत पुर मोड से लालगंज की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पर उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह के साथ दशवतपुर मोड़ पर आये और वाहन की चेकिंग करने लगे कि एक व्यक्ति के उपर शक होने पर मौके पर ही पकड़ लिया गया, पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम अतुल सिंह पुत्र स्व0 अनील सिंह ग्रा0 नवरसिया थाना तरवां जि0 आजमगढ उम्र 30 वर्ष बताया तथा उसके पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त के पास से वाहन UP 50 CCXXXX HERO SPLENDAR PLUS ब्लैक कलर जिसे 207 MV ACT में सीज किया गया तथा अभियुक्त को समय- 22.31 बजे दशवतपुर मोड़ से अन्तर्गत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 -219/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 -219/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01-अतुल सिंह पुत्र स्व0 अनील सिंह ग्रा0 नवरसिया थाना तरवां जि0 आजमगढ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी-

1- 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315

2- एक अदद वाहन UP 50 CC 8947 HERO SPLENDAR PLUS ब्लैक कलर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0 जयप्रकाश थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 संदीप सिंह पटेल थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. का0 हर्षित यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
5. का0 बलवन्त यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

03.थाना –मेंहनाजपुर: पिकअप पर लदे प्रतिबंधित पशु के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2025 को वादी मुकदमा गुड्डू गिरी पुत्र बैजनाथ गिरी निवासी इस्माईलपुर पोस्ट सिहुँका अबीरपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना मेंहनाजपुर पर लिखित तहरीर दिया कि आज दिनांक 20.08.2025 को गाडी पिकअप नं. UP50CT से दो व्यक्ति मेरे गाँव से ही गौकसी करने के उद्देश्य से एक लावारिस प्रतिबंधित पशु को जबरदस्ती पिकअप मे लादकर भाग रहे थे। जिसे ग्रामीणो ने इस्माईलपुर सुरेश मौर्या पुत्र रामरित मौर्या के घर के सामने समय करीब 8.00 बजे सुबह पकड लिए जिनसे दोनो व्यक्तियो के नाम पूछा गया तो अपना नाम बलवंत यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी मालपार थाना मेहनगर व दूसरे ने अपना नाम सोहराब पुत्र खदेरु निवासी चकसहदरिया थाना तरवाँ बताये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/2025 धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम वादी मुकदमा गुड्डू गिरी पुत्र बैजनाथ गिरी निवासी इस्माईलपुर पोस्ट सिहुँका अबीरपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1.बलवंत यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी मालपार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2. सोहराब पुत्र खदेरु निवासी चकसहदरिया थाना – तरवाँ जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 कमालुद्दीन के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 20.08.2025 को उ0नि0 कमालुद्दिन द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.बलवंत यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी मालपार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2. सोहराब पुत्र खदेरु निवासी चकसहदरिया थाना – तरवाँ जनपद आजमगढ को समय करीब 12.05 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 88/2025 धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1.बलवन्त यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी ग्राम मालपार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 170/2023 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 178/2024 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2.सोहराब पुत्र खदेरू निवासी ग्राम चकसहदरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 67/2021 धारा 386 भा0द0वि0 थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 678/2022 धारा 307/427 भा0द0वि0 व 5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम, थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

3.मु0अ0सं0 67/2024 धारा 120बी भा0द0वि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम व 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना तरवां जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1- 01 प्रतिबंधित पशु व एक अदद पिकअप नं0 UP50CT

गिरफ्तार करने वाली टीम : -

1. उ0नि0 कमालुद्दिन थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़
2. उ0नि0 ओमप्रकाश कनौजिया थाना मेंहनाजपुर , आजमगढ़
3. हे0का0 संजय सिंह थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 20.08.2025, जनपद आजमगढ

जनपद आजमगढ़ के कुल 14 थानों से कुल 35 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामी चिराग जैन के पर्यवेक्षण में कुल 14 थानों से कुल 35 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टियों की थानावार विवरण-

थाना अतरौलिया से 06,

थाना जीयनपुर- 05

थाना निजामाबाद- 04

थाना कंधरापुर, महराजगंज व थाना देवगांव से 03-03,

थाना मुबारकपुर, फूलपुर, व सरायमीर से 02-02,

थाना कोतवाली, रानी की सराय, तहबरपुर, दीदारगंज व थाना तरवां से 01-01 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया।